also to bring down the domestic price of gold.

3. Government do not propose to scrap the Gold Control Act. However, to make the administration of gold control more effective, amendments to rules framed under the Act are made from time to time. These amendments are also intended to meet the changing situations and in response to various representations received from Associations of Goldsmiths and Dealers.

Supply of Rapeseed Oil to Kamal Oil Mills and Capital Mill, Delhi

*360. DR. BALDEV PRAKASH:

DR. LAXIMINARAYAN PANDEYA:

Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION be pleased to state:

(a) whether Rapeseed oil was supplied to firms namely Kamal Oil Mill and Capital Mill, Delhi in spite of the fact that these were black listed by Delhi Administration and their licences cancelled as appeared in *'Nav-Bharat Times'* dated 22nd February, 1978; and

(b) if so, the reasons thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL): (a) No, Sir. The Central Government did not supply any rapeseed oil to Kamal Oil Mill or Capital Mill for refining.

(b) Does not arise.

गांवों के विकास के लिए करों में छूट

*361. श्री राम सागर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार किसी ऐसी फर्म अथवा स्वयं सेवी संगठन को करों में छूट देने का है जो किसी खंड विशेष को उसके सर्वतोमुखी, विशेषकर शिक्षा, स्वास्थ्य तथा उद्योग के क्षेत्र में विकास के लिए तथा वहां बेरोजगारी को दूर करने के लिए अपनाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख). कम्पनियों और सहकारी समितियों को, ग्रामीण-क्षेत्रों में कल्याण और सुधार कार्य जुटाने के लिए प्रोत्साहन देने की दृष्टि से वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1977 द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35–ग ग के अधीन कर सम्बन्धी रियायतों की व्यवस्था की गई थी।

वित्त विधेयक, 1978 में यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव है कि व्यापार अथवा वृत्ति में लगे जो करदाता ग्रामीण-क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों को चलाने के लिए संगठनों और संस्थाओं को धन देते है, उन्हें कर सम्बन्धी रियायत दी जाय। ऐसा आयकर अधिनियम, 1961 में एक नई धारा, 35ग ग क, अन्तःस्थापित करके करने का प्रस्ताव है।

धारा 35ग ग और प्रस्तावित धारा 35 ग ग क के अधीन उपलब्ध कर सम्बन्धी रियायतों का एक विवरण-पत्र, सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 35ग ग ग्रामीण-क्षेत्र में विकास के लिए छूट

वित्त (संख्या2) अधिनियम 1977 द्वारा आय-कर अधिनियम 1961 ; अन्तस्थापित धारा 35–ग ग के अन्तर्गत कम्पनियां

तथा सहकारी समितियां अपने कर लगने योग्य लाभों की संगणना में उस व्यय की छूट पाने की हकदार होंगी जो विनिर्धारित प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत ग्रामीण-क्षेत्र के विकास के किसी कार्यक्रम पर करेंगी। यह उपबन्ध 1 सितम्बर, 1977 से लागू हुआ।

2. यह कटौती तब मिलेगी जब कम्पनी अथवा सहकारी समिति ने ऐसा व्यय करने से पूर्व ग्रामीण क्षेत्र के विकास के कार्यक्रम के बारे में निर्दिष्ट प्राधिकारी की पूर्व-स्वीकृति प्राप्त कर ली हो। "ग्रामीण-क्षेत्र के विकास का कार्यक्रम" पद की परिभाषा यों की गयी है कि उसमें किसी भी ग्रामीण-क्षेत्र में जन-साधारण के सामाजिक तथा आर्थिक कल्याण अथवा सुधार का कार्यक्रम शामिल रहे।

3. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 27 अगस्त, 1977 को एक अधिसूचना जारी करके निम्नलिखित अधिकारियों की, निर्दिष्ट प्राधिकारियों के रूप में एक समिति नियुक्त की है जो इस प्रयोजन के लिए ग्रामीण-क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों को स्वीकृति देगी :—

सचिव, कृषि-विभाग . .	अध्यक्ष
सचिव, औद्योगिक विकास विभाग . .	सदस्य
सचिव व्यय विभाग . .	सदस्य
अध्यक्ष केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड . . .	सदस्य

4. विभिन्न नगरपालिकाओं अथवा छावनी बोर्डों की निर्दिष्ट स्थानीय सीमाओं से बाहर पड़ते वाले जिन क्षेत्रों को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 ग ग के प्रयोजनार्थ "ग्रामीण क्षेत्र" नहीं समझा जायेगा वे दिनांक 29 सितम्बर 1977 की अधि-सूचना में निर्दिष्ट है।

धारा 35 ग ग क, जिसे वित्त विधेयक, 1978 के द्वारा अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव है— ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों को चलाने के लिए संगठनों और संस्थाओं को अदायगी के रूप में किया गया व्यय

वित्त विधेयक 1978 (खण्ड 7) के द्वारा यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव है कि व्यापार अथवा वृत्ति में संलग्न जो कर दाता ऐसे संगठन अथवा संस्थाओं को जिनका उद्देश्य ग्रामीण-क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों को चलाने का हो धन देता है तो उसकी उस स्थिति में कर लगने योग्य लाभों की संगणना में उस धन की कटौती दी जायगी जब वह धन ग्रामीण-क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम के लिए ही प्रयोजनीय हो। प्रस्तावित उपबन्ध के

ब्यौरे वित्त विधेयक, 1978 के उपबन्धों को स्पष्ट करने वाले उस ज्ञापन के पैराग्राफ 30 के 32 में दिये गये हैं जो माननीय सदस्यों को बजट दस्तावेजों के साथ दिया गया है।

भारतीय संस्कृति के केन्द्रों का विकास

*362. **श्री भारत सिंह चौहान :**
श्री यशवन्त शर्मा :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय संस्कृति के मूल केन्द्रों को पर्यटकों के आकर्षण केन्द्रों के रूप में विकसित करने के हेतु योजना बनाने का है; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी हां।

(ख) पर्यटन विभाग सांस्कृतिक महत्व के ऐसे चुने हुए पर्यटन केन्द्रों पर जो राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण होते है आवास, बिजली, पानी, पहुंच-मार्ग तथा परिवेश-सुधार जैसी सुविधाओं की व्यवस्था करता रहा है। और अब चुने हुए केन्द्रों के मास्टर प्लान तयार करके वहां सुविधाओं के एक समेकित दृष्टिकोण के आधार पर विकास की योजनाएं भी तैयार की जा रही हैं। ऐसी कलाओं व शिल्पों को जो किसी स्थान विशेष की विशेषता होती है प्रोत्साहित करने उनका संरक्षण करने तथा उन्हें पर्यटकों के लिये प्रमुख आकर्षणों के रूप में विकसित करने का भी प्रस्ताव है।

Export of Garments to E.E.C. Countries

*363. DR. BAPU KALDATY: Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state:

(a) the progress made to get concession to export garments to E.E.C. Countries;

(b) whether the E E C. has increased the quota;

(c) whether these exports are restricted to only one E.E.C. country; and

(d) details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BEG): (a) to (d). The new Indo-EEC Textile Agreement provides for substantially larger quotas for garments exports compared to our export levels The quota levels established for specified categories of garments are applicable to all Member States of the EEC. A statement giving quota levels for the categories of garments subject to restraints for 1978 is laid on the Table of the House.